	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, गुरूवार, *शाके* 1942–दिसम्बर 31, 2020 *Pausa 10, Thursday, Saka 1942-December 31, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2020

जी.एस.आर.234 :-**राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना- 2020 में** निम्न संशोधन किये जाते हैः-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों का नाम **"राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2020"** होगा।

(2) यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2. वर्तमान नियमों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता हैः-

वर्तमान नियम के नियम-1 एवं नियम-6 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

<u>नियम-1</u> ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार एजेन्सी में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हो (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार एजेन्सी के सम्पादक, प्रकाशक व मालिक सहित) और उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो को 5,000/- रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 10,000/-रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी प्रतिस्थापित किया जाता है।

<u>नियम-6</u> पात्र अधिस्वीकृत पत्रकार को 5,000/- रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि के स्थान पर 10,000/- रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102005570 दिनांक 24.12.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

[एफ.6(1)गृह/ सम्पर्क/ सचि. / प्रको. / 2020]

महेन्द्र सोनी,

विशिष्ट शासन सचिव,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.